

सन् 1919 का आवांनमन अधिनियम
उसका विरोध

भारत गान्धव मोन्देयू ने 20 अगस्त 1919 को लोकसभा में अपनी प्रसिद्ध बौध्वा को जिसे अगस्त बौध्वा कहते हैं। इस बौध्वा में कहा गया कि "समस्त सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार पूर्णतः सम्बन्धित है, यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पूर्ण उत्तरीकरण करे और उत्तरदायी शासन-प्रणाली का परिष्कार विभाग हो, जिससे कि अधिकाधिक प्रगति करते हुए स्वशासन प्रणाली भारत में स्थापित हो और ब्रिटिश साम्राज्य के अंग के रूप में रहे। इन्होंने यह वचन देकर लिया कि इस विद्या में अविनाशी श्रद्धा हो इस रूप से कुछ बल अंग बढ़ाया जाए। इसने कहा कि इस विद्या में इस नीति में प्रगति कृतज्ञः ही होगा। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार इस बात का निर्णय करेगा कि क्या और कैसे प्रगति अंग बढ़ाया जाए। मोन्देयू रिपोर्ट में इस बौध्वा का अंगान्तमा कहा गया है "और एक नए अंग का आनि।"

मोन्देयू - चैम्बेर्स रिपोर्ट

मौलाना - चामुण्डा रिपोर्ट

1918 में होने

सुधार संकल्प अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इसे मौलाना चामुण्डा रिपोर्ट कहते हैं -

इस रिपोर्ट में सुधार - समन्वय निम्नलिखित छह सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया -

1) जहाँ तक संभव हो सके स्थानीय संस्थाओं पर जनता के निर्वाचन प्रविधिकियों का पूर्ण नियंत्रण हो और उन्हें सरकारी नियंत्रण से अलग स्वतंत्रता हो।

2) प्रोवी ने तुरंत उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए कदम उठाया जाए। कुछ उत्तरदायी तुरंत ही दिया जाए और पूर्ण उत्तरदायित्व जल्द ही परिमित अनुक्रम हो सोंप ही जाए।

3) भारत - सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी हो लेकिन अनिवार्य विधियों में बसकी शक्ति सर्वोपरि हो।

4) वहीं भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकार पर से संसद और भारत सचिव के नियंत्रण को कम किया जाए।

सन् 1919 के अधिनियम की विशेषताएँ

आचार्य पर सिद्धिया पार्लियामेन्ट ने सन् 1919 में भारतीय प्रशासन के लिए एक नया विधान बनाया जो पुराने कार्यविन किया गया। इस विधान को सन् 1919 का नानो सरकार अधिनियम कहते हैं।

1919 ई० के अधिनियम की विशेषताएँ-

(क) 1919 के अधिनियम द्वारा मद्रास, बम्बई, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रान्त, उड़ीसा, मध्य प्रान्त, असम तथा कोच गवर्नर के अधीनस्थ प्रांत क्षेत्रों को देकर गए एवं इनका शासन प्रणाली भी एक ही तरह की की।

(ख) उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रदेश, बलुचिस्तान, दिल्ली, पुणे, अजमेर, अडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, मुख्यतः के अधीन रखे गए।

(ग) गृह-सरकार में परिवर्तन लाया गया।

(घ) केन्द्रिय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकारों का विभाजन किया गया।

(ङ) केन्द्रीय वित्तसहायिका संरक्षण में आरक्षित।

(च) प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई।

गृह सरकार में परिवर्तन -

गृह सरकार के अन्तर्गत साम्राज्य मंत्रिमंडल संसद भारत-सचिव और उच्चकोषी काउंसिल ही इसका महत्वपूर्ण अंग भारत सचिव का भारत सरकार के विद्यार्थी, आर्थिक तथा प्रशासकीय मामलों पर इसका पूर्ण नियंत्रण था। उच्चकोषी सहायता के लिए इंडिया काउंसिल थी। भारत सचिव भारत के आसन सम्बन्धी मामलों के लिए ब्रिटीश संसद के प्रति उत्तरदायी था। उसी के निर्देशन के अनुसार गवर्नर जनरल को कार्य करना पड़ता था। सन् 1919 के अधिनियम के द्वारा गृह सरकार में परिवर्तन लाया गया जो निम्नलिखित है -

भारत सचिव

1919 के अधिनियम

में यह बतलाया गया कि प्रांती में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी एवं केन्द्र की विद्यार्थिका सभा में निर्वाचित लोगों का कटु मत होगा।

- 1) प्रांती में उत्तरदायी शासन के प्रारंभ की सुविधाजनक बनाने के लिए प्रांती के केन्द्र से हटाकर सीपी गई शक्तियों को विस्तृत किया गया और उन्हें कायम रख दिया गया। अतएव केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधायी मंडल में संघ किया गया और प्रांती की प्रांतीय विधायी के प्रशासन के लिए अधिनियम

स्वायत्तता प्रदान की गई।

(2) उत्तरदायी शासन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित विधियों को ले सकते हैं और कोटा गया जो आर्जीवन (reserved) और हस्तांतरित (transferred) कक्षा तथा हस्तांतरित विधियों का प्रशासन निर्वाचित सदस्यों को देना गया जो अपनी नीति व शासन कार्य के लिए प्रोत्साहित विधान - परिषदों के प्रति उत्तरदायी बनाए गए। आर्जीवन विधियों का प्रशासन स्वयं प्रशासकीय परिषदों के सदस्यों के द्वारा ही कार्य में काम रहा। सभी प्रकार की शासन-पुनर्गठन (dyarchy) के नाम से विख्यात हुई।

(3) प्रोत्साहित विधान - परिषदों की सदस्य संख्या में पर्याप्त वृद्धि की गई। प्रत्येक में निर्वाचित सदस्यों को बहुमत प्रदान किया गया और उनके निर्वाचन के लिए मतदानों को इस प्रकार विस्तृत किया गया कि देश की सार्वजनिक जनता का एक सार्वजनिक अंग राजनीतिक क्षेत्र में आ गया।

(4) केन्द्रीय शासन में उत्तरदायी शासन, विधानों की नहीं लागू किया गया। परिणामस्वरूप केन्द्रीय शासन पूर्ववत् मनुचला और शक्तिशाली के नेतृत्व में रहा। इस प्रकार केन्द्रीय शासन मारवाड़ी के द्वारा प्रारंभ

क्रिया पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी बना रहा, किंतु नए संविधान के अन्तर्गत गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की सेवा में ब्रिटेन की जाने की व्यवस्था की गई।

5) केन्द्रीय विधान मंडल के दो सदन के आकार पर पुनः खेतिबंदी किया गया। उपर वाले सदन को राज्य परिषद (Council of States) और नीचे सदन को केन्द्रीय असेम्बली (Central Legislative Assembly) कहा गया। दोनों सदन में निर्वाचन सदस्यों का अनुमन रखा गया और दोनों सदन के लिए चुनाव प्रणाली रखी गई, किंतु महाविचार केवल बहु-ही सीमित निर्वाचित निर्वाचन-मंडल को प्रदान किया गया। इस प्रकार केन्द्रीय विधान मंडल की रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए।

6) भारत में और क्रिया पालियामेंट के भारतीय शासन-सेवा विषयों पर नियंत्रण में कुछ काम हुई। स्वयं ही इंग्लैंड में भारत सरकार के प्रतिनिधि का रण रखा यह काम किया गया। यह पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त (Indian High Commissioners) कहलाया, और उसे वे कार्य सौंपे गए जिन्हें पहले भारत में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किया करना था।

7) जनरल और जनरल जनरल को अनेक विरोधाभासक शक्तियाँ मिली, जिनका उपयोग के शासन के अधिकारों विषयों में व्यापक रूप से कर सकते थे।

8) इस सुधार योजना में सामूहिक पद्धति को लागू नहीं करा गया वरन् इसे विस्तृत किया गया।

9) यद्यपि प्रांती को केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई, किन्तु वे अब भी केन्द्रीय सरकार के प्राबलियत को रहे। इस सेविकाओं के अन्तर्गत देवी शिवालयों को स्थिति व वद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यद्यपि 1921 में प्रिन्स मंडल (Chamber of Princes) की स्थापना हुई।

10) नए सेविकाओं में एक लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की स्थापना की गई और इसमें एक प्रणाली अब भी था कि नए सेविकाओं के प्रारंभ से से 10 वर्ष के भीतर एक स्टेच्युटरी आयोग नियुक्त किया जाय, जो सभी सुधार योजना के कार्यान्वित रूप को जांच करके नए सुधारों के सम्बन्ध में प्रिन्स सरकार को रिपोर्ट दे।

11) मॉन्टगोरी सुधार योजना को गहन

दल के नेताओं ने अपना और दल
विरोध किया, यद्यपि नरम दल के
नेताओं ने अपना स्वागत भी किया।
एनी बेसेन्ट ने कहा कि मॉन्टगोरी
रिपोर्ट को सुधार योजना ऐसी की
जिसका इंग्लैंड को और से प्रदान
किया जाना और भारत द्वारा स्वीकार
किया जाना अनिश्चित था।